भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1212

दिनांक 09 फरवरी, 2024 को उत्तर के लिए

पॉक्सो नियमों का कार्यान्वयन

1212. सुश्री एस. जोतिमणिः

क्या **महिला और बाल विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी किः

(क) पॉक्सो नियम, 2020 की धारा 3 (2) के अनुसार सार्वजनिक मंच पर सूचना प्रसार पर वर्ष-वार कुल कितनी निधि आवंटित और उपयोग की गई;

(ख) सरकार द्वारा पॉक्सो नियम, 2020 की धारा 3(3) के अंतर्गत जागरूकता पैदा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और इस पर केंद्र-राज्य की कितनी वित्तीय हिस्सेदारी है;

(ग) सरकार द्वारा पॉक्सो नियमों की धारा 3(6) के अंतर्गत बच्चों के संपर्क में आने वाले कर्मियों के लिए प्रशिक्षण, अभिविन्यास कार्यक्रमों और संवेदीकरण कार्यशालाओं पर वर्ष-वार कितना व्यय किया गया; और

(घ) धारा 3(6) के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रमों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है और प्रतिभागियों की संख्या (उनके पेशे के अनुसार वर्गीकृत) कितनी है?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास मंत्री

(श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

(क) से (घ): यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम(पॉक्सो), 2012 की धारा-44 के अनुसार राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) को पॉक्सो अधिनियम के लागू की निगरानी करने का अधिदेश प्राप्त है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय पॉक्सो अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी सहित विभिन्न कार्यकलापों के लिए एनसीपीसीआर को निधि जारी करता है।

पॉक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 43 में प्रावधान है कि केंद्र सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार अधिनियम के प्रावधानों को व्यापक प्रचार-प्रसार करने का सभी उपाय करेगी।

इसके अनुसार सरकार ने संबंधित हितधारकों के साथ इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया, परामर्श, कार्यशालाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए समय-समय पर विभिन्न कदम उठाए हैं। पॉक्सो अधिनियम के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए देश भर के सिनेमा घरों और दूरदर्शन पर पॉक्सो अधिनियम पर एक लघु फिल्म का प्रसार किया गया।

इसके बाद, मंत्रालय ने पॉक्सो अधिनियम के विभिन्न पहलुओं को लघु वीडियो क्लिप, ऑडियो क्लिप और पोस्टर के माध्यम से प्रभावी तरीके से शामिल करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया है, जिसे पूरे भारत में विभिन्न माध्यमों से प्रसारित किया गया है। रचनात्मकता के प्रभावी प्रसार के लिए उसका क्षेत्रीय भाषाओं में भी अनुवाद किया गया है ताकि इसकी पहुंच प्रभावी हो।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने बच्चों को सुरक्षा/शिकायत के संभावित तरीकों के बारे में जानकारी देने के लिए कक्षा 6 ठी से कक्षा 12वीं तक की सभी पाठ्यक्रम पुस्तकों के सामने के कवर के पीछे बच्चों के लिए चाइल्डलाइन(1098)- 24x7 हेल्पलाइन और पॉक्सो ई-बॉक्स प्रकाशित किया है।

इसके अलावा, मंत्रालय ने मिशन वात्सल्य स्कीम के तहत निम्नलिखित क्षेत्रीय सम्मेलन और संवेदीकरण/प्रसार कार्यशालाएं आयोजित की हैं:

i. क्षेत्रीय सम्मेलन: पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और हितधारकों के साथ आउटरीच से मिशन वात्सल्य स्कीम सहित कुपोषण संबंधी समस्याओं को सम्मेलनों के माध्यम से दूर करने और महिलाओं तथा बच्चों के विकास, सशक्तिकरण और सुरक्षा के लिए क्षेत्रीय कार्यनीतिक कार्यकलाप पर क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किए गए।

ii. प्रचार-प्रसार कार्यशालाएँ: किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 और उनके तहत नियमों और मिशन वात्सल्य स्कीम सहित दत्तक ग्रहण विनियम, 2017 पर सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों, संबंधित मंत्रालयों/विभागों, पुलिस के प्रतिनिधियों, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान

(एनआईएमएचएएनएस), राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर), बाल कल्याण समितियों (सीडब्ल्यूसी)/किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) के सदस्यों सहित बाल संरक्षण कर्मचारियों और अन्य हितधारकों के साथ राष्ट्रीय प्रसार कार्यशाला 17.08.2022 और 29.08 2022 को राष्ट्रीय प्रचार-प्रसार कार्यशालाएँ आयोजित की गईं।

iii. कार्यशालाएँ: संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के सहयोग से 16.11.2022 और 14-15.09.2023 को श्रीनगर जम्मू और कश्मीर (जम्मू और कश्मीर) में मिशन वात्सल्य स्कीम सहित बाल अधिकार और संरक्षण पर पंचायती राज प्रतिनिधियों (पीआरआई), शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) और पुलिस के प्रतिनिधियों के लिए संवेदीकरण/प्रशिक्षण कार्यक्रम पर कार्यशालाएँ आयोजित की गईं। इस कार्यशाला में मंत्रालय, एनसीपीसीआर, संघ राज्य क्षेत्र जम्मू-कश्मीर, प्रशासनिक और पुलिस प्रशिक्षण संस्थान, जिला बाल संरक्षण अधिकारी (डीसीपीओ), सीडब्ल्यूसी, जेजेबी, विशेष किशोर पुलिस इकाइयां (एसजेपीयू), यूनिसेफ के प्रतिनिधि और अन्य हितधारकों के अधिकारियों ने भाग लिया।

iv. वत्सल भारत: मिशन वात्सल्य सहित 'बाल संरक्षण, बाल सुरक्षा और बाल कल्याण' पर 02.07.2023 से 18.08.2023 तक दिल्ली, भोपाल, मुंबई, रांची, गुवाहाटी और वाराणसी में क्षेत्रीय संगोष्ठियां आयोजित की गईं। क्षेत्रीय संगोष्ठियों में बाल कल्याण समितियों (सीडब्ल्यूसी), किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी), ग्राम बाल संरक्षण समिति (वीसीपीसी) के सदस्यों और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों सहित राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। क्षेत्रीय संगोष्ठियों में भाग लेने वाले राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों और प्रतिनिधियों की अनुमानित संख्या की सूची **अनुलग्नक- I** में दी गई है।

v. अपने उपयोगकर्ता/हितधारकों द्वारा मिशन वात्सल्य पोर्टल को अपनाने की क्षमता में सुधार के लिए मंत्रालय द्वारा 22.03.2023 से 24.03.2023 तक निपसिड(एनआईपीसीसीडी) में **तीन दिवसीय परामर्श** आयोजित किया गया था।

vi. मंत्रालय द्वारा पूर्वोततर राज्यों (अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा) के लिए मिशन वात्सल्य पोर्टल में संस्थागत और गैर-संस्थागत देखरेख के मॉड्यूल पर एक **वर्चुअल तकनीकी प्रशिक्षण सत्र** 15 नवंबर 2023 को आयोजित किया गया था।

vii. राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (निपसिड) द्वारा आयोजित प्रशिक्षण: मिशन वात्सल्य स्कीम के तहत निपसिड(एनआईपीसीसीडी) ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 129 प्रशिक्षण कार्यक्रम और चालू वित्तीय वर्ष (01.12.2023 तक) के दौरान 82 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं।

इसके अलावा, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष अप्रैल, 2020 से दिसंबर, 2023 के दौरान पॉक्सो नियमों की धारा 3(6) के तहत कुल 65 कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों में केन्द्रीय विद्यालय के प्राचार्यों, रेलवे बैंकों और अन्य सार्वजनिक सेवा उपक्रमों (पीएसयू) के सरकारी अधिकारियों, महिलाओं और बच्चों के क्षेत्र में काम करने वाले स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधिों, महिला और बाल विकास मंत्रालय के अधिकारियों, राष्ट्रीय सार्वजनिक सहयोग और बाल संस्थान के संकाय विकास, बाल विकास परियोजना अधिकारियों, पर्यवेक्षक, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियो, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के पदाधिकारियों (अधीक्षक, बाल कल्याण अधिकारी, संरक्षण अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ताओं और परामर्शदाताओं), स्कूल के शिक्षकों और कर्मचारियों, विश्वविद्यालय के संकायों, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के बच्चों, मिशन वात्सलय के पदाधिकारियों (जिला बाल संरक्षण अधिकारी, संरक्षण अधिकारी, प्रभारी, संरक्षण अधिकारी एनआईसी, सामाजिक कार्यकर्ता और परामर्शदाता), विशेष किशोर पुलिस इकाइयों, बाल और पदाधिकारियों, पुलिस और न्यायपालिका जैसी कानून प्रवर्तन एजेंसियों, चिकित्सा पेशेवर, बाल के सदस्य कल्याण समितियों एवं किशोर न्याय बोर्ड और विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसियों के समन्वयकों सहित लगभग 3515 प्रतिभागियों ने भाग लिया। वर्ष 2020-21, 2021-2022, 2022-23 और अप्रैल 23-दिसंबर,2023 में आयोजित कार्यक्रमों की कुल संख्या, प्रतिभागियों की कुल संख्या और किए गए वास्तविक व्यय का विवरण **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

*****

अनुलग्नक-I

'पॉक्सो नियमों के कार्यान्वयन' के संबंध में सुश्री एस. जोतिमणि द्वारा 09.02.2024 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1212 के उत्तर के भाग (क)से (घ) में 'क्षेत्रीय संगोष्ठी, भाग लेने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और प्रतिनिधियों की संख्या की सूची दर्शाने वाला उल्लिखित विवरण।

क्र.सं.	**स्थान**	**तारीख**	**भाग लेने वाले राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र**	**प्रतिनिधियों की अनुमानित संख्या**
1	नई दिल्ली	2 जुलाई,2023	संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर, संघ राज्य क्षेत्र लदाख, संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़,संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश	2000
2	भोपाल	9 जुलाई,2023	मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ राजस्थान	1500
3	मुंबई	22 जुलाई,2023	महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, संघ राज्य क्षेत्र दादर नगर हवेली एवं दमन तथा दीव	2500
4	रांची	30 जुलाई,2023	पश्चिमबंगाल, झारखंड, ओडिशा, बिहार	800
5.	गुवाहाटी	12 अगस्त,2023	असम,अरुणाचल,मिजोरम,नागालैंड,त्रिपुरा ,सिक्किम	1200
6.	वाराणसी	18 अगस्त,,2023	सहयोगी गैर सरकारी संगठन	1500

अनुलग्नक-II

'पॉक्सो नियमों के कार्यान्वयन' के संबंध में सुश्री एस. जोतिमणि द्वारा 09.02.2024 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1212 के उत्तर के भाग (क) से (घ) में संचालित कार्यक्रमों की कुल संख्या, प्रतिभागियों की कुल संख्या और वर्ष 2020-21 -2022, 2022-23 तथा अप्रैल-23 के दौरान किए गए व्यय को दर्शाने वाला उल्लिखित विवरण।

क्र.सं.	वर्ष	कार्यक्रमों की कुल संख्या	कुल प्रतिभागी	व्यय (रुपये में)
1.	2020-21	27	1533	45,254
2.	2021-22	10	548	41,832
3.	2022-23	15	793	1,40,248
4.	अप्रैल 2023-दिसंबर, 2023	13	641	6,57,407
	कुल योग	**65**	**3515**	**8,84,741**